(81)

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

निग -2067- II -16 प्रकरण क्र. /निगरानी/16

मीराबाई पुत्री स्व0 श्री मोतीसिहं पत्नी श्री चन्द्रपालसिहं बर्मा

निवासी ग्राम लसुडलिया खास तहसील आष्ठा

जिला सिहोर म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1. हृदेश आ0 श्री बाबूलाल

निवासी ग्राम मोहम्मदपुर पखनी तहसील आष्ठा

जिला सिहोर म0प्र0

2. अनारबाई पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल

3. भगवतीबाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी श्री बाबूलाल

निवासी ग्राम मोहम्मदपुर पखनी तहसील आष्ठा

जिला सिहोर म0प्र0 ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान तहसीलदार तहसील आष्ठा जिला सिहोर द्वारा उनके प्रकरण क0 44/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30/03/16 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोहम्मदपुर पखनी तहसील आष्ठा जिला सिहोर म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क0 55–56 रकवा 4.25 एकड भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक एवं अनावेदक क0 3 के पिता तथा अनावेदक क0 2 के पति श्री मोतीलाल के नाम पर दर्ज थी । मूल भूमि स्वामी श्री मोती के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके सभी बैधानिक उत्तराधिकारियो के नाम पर फौती नामान्तरण के आधार पर दर्ज होना चाहिए थी । परन्तु अनावेदक क0 2 द्वारा अवैधानिक रूप उक्त सम्पूर्ण भूमि पर फौती नामान्तरण के आधार पर केवल अपना नाम दर्ज करवा लिया । उक्त भूमि पर फौती नामान्तरण होने के उपरान्त अनावेदक क0 2 द्वारा दुर्भावनावश उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2067–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2016	आवेदिका द्वारा यह निगरानी तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 44/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदिका द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी आवेदिका एवं अनावेदिका कमांक 3 के पिता मोतीलाल तथा अनावेदिका कमांक 2 के पति स्व0 मोतीलाल थे। अनावेदिका कमांक 2 ने स्व0 मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात केवल अपने नाम पर वारिसान नामांतरण करा लिया तथा आवेदिका के पीठ पीछे अनावेदक कमांक 1 को भूमि विकय कर दी। जब आवेदिका को जानकारी हुई तो उसके द्वारा वारिसान नामांतरण की अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जो लंबित है। इस बीच विकय के आधार पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना आवेदिका की आपत्ति का निराकरण किये प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु निर्धारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये। 3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों की सत्यापित	

R 2067-II/16

प्रकरण कमांक निगरानी 2067-दो/2016 जिला सीहोर

आदेश पत्रिकाओं का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदिका मीराबाई द्वारा दिनांक 2–6–15 को आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा उक्त दिनांक को प्रकरण आपत्ति के जबाव हेतु पेशी दिनांक 9–6–15 को नियत की। पांच पेशीयों तक जबाव हेतु समय मांगने एवं पीठसीन अधिकारी अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण बढा दिया गया। पेशी दिनांक 30–3–16 को तहसीलदार ने उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रकरण को उभय के साक्ष्यों के आधार पर निराकरण किया जावेगा। प्रकरण वास्त साक्ष्य हेतु नियत किया। तहसीलदार ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण कर करते हुये प्रकरण साक्ष्य हेतु निर्धारित करने में त्रटि की है। तहसीलदार को विधिवत अनावेदक कमांक 1 का जबाव प्राप्त कर आवेदिका की आपत्ति का निराकरण करना चाहिए था, तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 30–3–16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार आष्टा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है विधिवत दोनों पक्षों को सुनकर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का सकारण आदेश पारित करें तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संपादित करें। प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य